न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 266/2011

रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण जाति मीणा निवासी हरसोली तह0 मांगरोल हाल निवासी पब्लिक पार्क कोटा रोड बारां

...वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. सूरजमल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हरसोली तह0 मांगरोल जिला बारां
2. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हरसोली तह0 मांगरोल
3. दौलतराम
4. जगमोहन
5. बादाम बाई
6. जसौदा बाई
7. सुलोचना बाई
8. रोशनबाई
9. बरजी बाई बेवा आनन्दीलाल जाति मीणा निवासी हरसोली तहसील मांगरोल
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण : श्री रामस्वरूप नागर
दायरा दिनांकः 30.09.2011 निर्णय दिनांक : 16.07.2018

वादी ने जर्ये अधिवक्ता एवं वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम हिंगोनिया तह0 मांगरोल के खाता सख्या 98 में खसरा नं0 369 रकबा 0.08 है0 खसरा नं0 370 रकबा 0.72 है0 खसरा नं0 386 रकबा 2.27 है0 कुल किता 3 रकबा 3.07 है0 आराजी स्थित है इस आराजी में वादी 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी गण 1/2 हिस्से आराजी का खातेदार है।

आगे कथन किया कि इन्तकाल नं0 103 दिनांक 21.01.2002 से काशी राम के स्थान पर वादी का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज किया गया ओर अपने हिस्से को पृथक किया जाकर पृथक से खाता दर्ज करने की प्रार्थना वादी ने की।

ग्राम हरसोली तह0 मांगरोल के खाता संख्या 92 में आराजी खसरा नं0 56 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 86 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 87 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 111/154 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0

...बा 2.00 है0, खसरा नं0 307 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 370 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 399 ... 0.10 है0, खसरा नं0 437 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 457 रकबा 0.22 है0, कुल किता 10 रकबा 4. ... है0 स्थित है।

आगे वाद पत्र में कथन किया कि खाता संख्या 92 की आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/2 हिस्से के तथा 1/4 हिस्से के सहखातेदार प्रतिवादी क्रम 3 ता 9 है। वादी इस आराजी में से अपना 1/4 हिस्सा पृथक कराकर पृथक से अपने खाते दर्ज कराना चाहता है। वादी को 1/4 हिस्सा काशीराम की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल नं0 69 से दिनांक 21.01.2002 को प्राप्त हुआ है। आगे न्यायालय से प्रार्थना की कि वादी का हिस्सा दौनो गांव की आराजी में से पृथक किया जाकर पृथक से खाते दर्ज कर दिया जावें। प्रतिवादी क्रम 2 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामान 2/1 ता 2/4 रिकार्ड पर लिए गये, प्रतिवादी क्रम 3 ला औलाद फौत होने पर उसका नाम वाद पत्र से डिलिट किया गया।

प्रतिवाद क्रम 5 ता 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण आज दिनांक 29.06.2018 राजस्व शिविर लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मांगरोल में पत्रावली पेशी में ली गयी।

उभय पक्ष ने पक्षकारो के साथ उपस्थित होर न्यायालय में राजीनामा पेश किया और निवेदन किया कि राजीनामा के अनुसार पक्षकारों का खाता विभाजन कर दिया जावें।

न्यायालय ने राजीनामा उभय पक्ष को पढकर सुनाया, समझाया, पक्षकारों के द्वारा स्वीकार करने पर अधिवक्त की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकार करने पर अधिवक्ता की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा निम्न प्रकार से आदेश दिया जाता है कि:–

01. ग्राम हिंगोनिया तह0 मांगरोल जिला बारां के खाता संख्या 98 में दर्ज आराजी कुल किता 3 रकबा 3.07 है0 की विभाजन की प्रार्थना खारिज की जाती है।
02. ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल के खाता सख्या 94 में कुल आराजी किता 10 रकबा 4.79 है0 दर्ज है इसका विभाजन सहखातेदारों में निम्न प्रकार होगा:–

1/1 प्रतिवादी क्रम 1 सूरजमल के खाते में खसरा नं0 399 रकबा 0.03 मध्य हिस्सा दर्ज किया जावें।

1/2 प्रतिवादी क्रम 4 ता 9 जगमोहन वगै0 खसरा नं0 399 रकबा 0.03 है0 आराजी दर्ज होगी। वादी व प्रतिवादी क्रम 4 ता 9 खसरा नं0 141 रकबा 2.00 है0 में 1/2, 1/2

हिस्से में दर्ज होगें।

1/3 वादी के खाते में खसरा नं0 457 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0437 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 370 रकबा 0.12 है0, कुल किता 13 रकबा 0.75 है0 दर्ज की जावें।

1/4 खसरा नं0 56 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 86 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 87 रकबा 0. 12 है0, खसरा नं0 111/514 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 307 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 399 रकबा 0.04 है0, उत्तरी ओर कुल किता 6 रकबा 1.98 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 व 1/2 हिस्सा रामस्वरूप, हंसराज पुत्रान चन्द्र कांति, कलावति, पुत्रियां नट्टी बेवा लक्ष्मण का नाम दर्ज किया जावें।

ग्राम हिंगोनिया के खाता संख्या 98 में दर्ज आराजी कुल 3.07 है0 व ग्राम हरसोली के खाता संख्या 92 में दर्ज आराजी 4.79 है0 पर प्रकरण संख्या 156/11 से दिनांक 22.03.2012 से तहसीलदार मांगरोल को रिसिवर नियुक्त कर रखा है, तहसीलदार मांगरेल के पास जमा रिसिवरी राशि को पक्षकार अपने हिस्से अनुसार लेने के अधिकारी होंगें।

अतः आदेश दिया जाता है कि जमा राशि को सहखातेदार अपने-अपने हिस्सो के मुताबिक दिया जावें।

पर्चा डिकी बनाया जावें, पत्रावली फैशल शुमार होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरेइजलास मजमें आम में सुनाया गया।